

भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 328

02 दिसम्बर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: पराली जलाने पर पूर्णतया रोक लगाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन

328. श्री चरनजीत सिंह चन्नी:

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राजसहायता के बावजूद फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों को अपनाने में पंजाब के किसानों के सामने आ रही चुनौतियों से अवगत है;

(ख) यदि हाँ, तो 2025 में जालंधर और पंजाब के अन्य जिलों में ऐसी कितनी मशीनें वितरित की गई हैं; और

(ग) 2026 तक पराली जलाने पर पूर्णतया रोक लगाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि मशीनीकरण संबंधी उप-मिशन के अंतर्गत नियोजित अतिरिक्त प्रोत्साहनों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): पंजाब के किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन पद्धतियों को अपनाने में सहायता देने के लिए, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) वर्ष 2018-19 से पंजाब राज्य सरकार के माध्यम से फसल अवशेष प्रबंधन (सीआरएम) योजना को कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत, किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों की खरीद के लिए मशीनों की लागत के 50% की दर से वित्तीय सहायता प्रदान करने तथा परियोजना लागत के 80% की दर से फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों के कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी) स्थापित करने के लिए पंजाब राज्य को 1963.45 करोड़ रुपये की केंद्रीय निधि जारी की गई है। छोटे और सीमांत किसानों को कम किराए पर मशीनें और उपकरण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कस्टम हायरिंग केंद्रों (सीएचसी) के लिए सब्सिडी का उच्च हिस्सा प्रदान किया जाता है। धान की पराली आपूर्ति श्रृंखला परियोजनाओं को 1.50 करोड़ रुपये तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए मशीनरी की पूंजीगत लागत पर 65% की दर से वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है, जिसका उद्देश्य धान की पराली आधारित उद्योगों, जैसे जैव-संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी), संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी), जैव-इथेनॉल, बायोमास आधारित बिजली संयंत्रों आदि के लिए बायोमास आपूर्ति सुरक्षा सुनिश्चित करना है। किसानों द्वारा धान की पराली को ऐसे उद्योगों में उपयोग के लिए बेचने से भी उन्हें अतिरिक्त

आय प्राप्त होती है। किसानों में व्यापक जागरूकता लाने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार गतिविधियों को चलाने हेतु राज्य को धनराशि भी प्रदान की गई है।

किसान फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों को अपना रहे हैं और वर्ष 2018-19 से 2025-26 (25.11.2025 तक) की अवधि के दौरान, राज्य में 1.59 लाख से अधिक मशीनों की आपूर्ति की जा चुकी है। इन मशीनों के उपयोग से इन-सीटू अवशेष प्रबंधन पद्धतियों के समग्र लाभों में सॉयल फर्टिलिटी का संवर्धन तथा उर्वरकों के कम उपयोग पर बचत भी शामिल है। कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम) के अंतर्गत अतिरिक्त प्रोत्साहन का कोई प्रावधान नहीं है और सीआरएम योजना के अंतर्गत इन सभी हस्तक्षेपों का उद्देश्य धान की पराली को समग्र रूप से प्रबंधित करना है, ताकि पराली जलाने की समस्या को पूरी तरह समाप्त किया जा सके।

वर्ष 2025 में पंजाब के विभिन्न जिलों में किसानों को वितरित फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों की संख्या अनुबंध-1 में दी गई है।

सीआरएम योजना के तहत पहल के माध्यम से धान की पराली को जलाने में कमी लाने का समग्र उद्देश्य साकार हो रहा है, जैसा कि अंतरिक्ष से एग्रीइकोसिस्टम मॉनिटरिंग एंड मॉडलिंग पर अनुसंधान के लिए कंसोर्टियम (सीआरईएएमएस) प्रयोगशाला, कृषि भौतिकी विभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) - भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (आईएआरआई), नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित रिपोर्टों से स्पष्ट है। पंजाब राज्य में वर्ष 2018 के दौरान 15 सितंबर से 30 नवंबर के बीच धान की पराली जलाने की घटनाएं 67079 थीं, जो वर्ष 2024 के दौरान इसी अवधि के दौरान घटकर 10909 हो गई हैं, जो धान की पराली जलाने में 83.7 प्रतिशत की कमी दर्शाता है। चालू वर्ष के दौरान 15 सितंबर से 27 नवंबर तक धान की पराली जलाने की घटनाओं की संख्या 5106 दर्ज की गई है, जो वर्ष 2024 की इसी अवधि की तुलना में 52.8% कम है।

अनुबंध-1

वर्ष 2025 में पंजाब के विभिन्न जिलों में किसानों को वितरित की गई फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों की संख्या (25.11.2025 तक)

क्र.सं.	जिले का नाम	वितरित फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों की संख्या
1	अमृतसर	256
2	बरनाला	511
3	बठिंडा	436
4	फरीदकोट	239
5	फतेहगढ़ साहिब	214
6	फाजिल्का	731
7	फिरोजपुर	1159
8	गुरदासपुर	464
9	होशियारपुर	170
10	जालंधर	1019
11	कपूरथला	461
12	लुधियाना	519
13	मलेरकोटला	206
14	मनसा	540
15	मोगा	366
16	पठानकोट	73
17	पटियाला	419
18	रोपड़	115
19	संगरूर	1042
20	एसएस नगर	178
21	एसबीएस नगर	95
22	श्री मुक्तसर साहिब	535
23	तरन तारन	347
	कुल	10095
